



5
न्यायालय की मात्र रायस्व मण्डल कैम्प आगरा संभाग आगरा

कॉशल्या

22/01/15-I-15

वनाम

शासन

प्र० सं०- रायस्व मण्डल कैम्प आगरा
R- 1819/07

ला० पं० 7-1-15

7-1-15
कॉशल्या
पुनः प्रेषित
कॉशल्या
पुनः प्रेषित

आवेदन पत्र अंतर्गत द्वारा 35(3) भुराजाव संहिता

आवेदन अपीलार्थी विम्व लिखित अर्चना केल्या है।

1) यह कि आवेदन का उक्त उक्तण की मात्र ज्ञापक मण्डल कैम्प आगरा में रिपोर्ट हेतु लिखत था।

2) यह कि उक्त उक्तण में उपस्थित हेतु समय 12:40 घंटे पुकार लगाई गई तथा उक्त उक्तण को की मात्र के न्यायालय में एक पश्चिमे आदेश जारी किया गया। जो अतिवन्त उक्तण में समय 12:30 पर न्यायालय में उपस्थित होने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त उक्तण को अनुपस्थित में एक पश्चिमे आदेश जारी कर दिया गया है।

3) यह कि उक्त उक्तण में मात्र 20 मिनट का विलंब की कारण हुई एक पश्चिमे अपीलार्थी को निश्चय काले इसे की मात्र न्यायालय में अनुरोध है कि उक्तण को पुनः नम्बर पर लिखे जाने की सुवा करे।

अर्चना

उक्त: की मात्र में प्रकीर्ण है कि उक्त उक्तण में एक पश्चिमे आदेश को ज्ञापक कर पुनः नम्बर पर लिखे जाने की सुवा करे।

स्थान :- आगरा

दिनांक :- 7/1/15

अमिल
अतिवन्त और में
अर्षे / अपीलार्थी

16-1-15


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

5

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 147-एक/15

जिला-पन्ना

| थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| 4-2-15 सागर कैंप | <p>आवेदक अधिवक्ता श्री अनिल चौबे उपस्थित । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन में सुनवाई के पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण निगरानी 1819-एक/2007 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> | |